न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रामगंजमंडी

मिसल नं0.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
45/2010	01.06.2010	10/07/2019

पीठासीन अधिकारी :– चिमनलाल मीणा (आर0ए0एस0)

–:: उनवान ::–

1 :– चतुर्भुज पुत्र मॉगीलाल जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा(राज0) मृतक जरिये कायम मुकामान

1/1 देवलाल पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा(राज0)

1/2 बृजराज पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा(राज0)

1/3 चन्द्रीबाई पत्नी स्व चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा(राज0)

1/4 राधाबाई पुत्री स्व0 चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा(राज0)

–: वादीगण :–

बनाम

1:– केशुराम पुत्र आत्मज देवीलाल जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा(राज0)

2:–बजरंगलाल पुत्र केशुराम जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा(राज0)

–: प्रतिवादीगण :–

वाद अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता ,

1. श्री घनश्याम धाकड़ :– , वकील वादी
2. श्री शिवनारायण नागर :– वकील प्रति0

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 10/07/2019

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner

वादीग द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि

1. यह कि वादी को उसके पूर्वजों से प्राप्त उनके खाते एंव कब्जे काश्त की भूमि वाकै माल ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमंडी मे खाता नम्बर 64में खसरा नम्बर 830 की रकबा 1 बीघा खसरा नम्बर 838 की रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा , , खसरा नम्बर 1320 रकबा 9 बिस्वा , खसरा नम्बर 1332 रकबा 7 बिस्वा , खसरा नम्बर 1333 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा , खसरा नम्बर 1334 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा , खसरा नम्बर 1562 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा आराजी स्थित है। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है।
2. उक्त भूमि में खसरा नम्बर 1332 की रकबा 7 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन चाह स्थित है, जो प्रतिवादीगण की भूमि के समीप स्थित है। उक्त चाह वादी के पूर्वजो द्वारा ही बनाया गया है। तथा वादी उक्त चाह से अपने अपने पूर्वजो के समय से ही अपनी भूमि की सिंचाई करता चला आ रहा है। प्रतिवादी के लडके के मन में बदयान्ति आ जान से वे वादी की उक्त भूमि चाह पर कब्जा जवरन कब्जा करना चाहते है। वे आये दिन लड़ाई झगड़ा करते है तथा गॉव में कहते फिरते है कि वे वादी की उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर कब्जा करके ही रहैगे, और यदि वादी ने मना किया तो उसे जान से मार देगे। अतः वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वे प्रतिवादीगण के विरूद्व यह आदेश प्राप्त करें कि प्रतिवादीगण वादी की उक्त भूमि पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करे।

अन्य कथन कर वादी द्वारा निवेदन किया गया कि, वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की डिकी सादिर फरमाई जावे कि ,

अः– खसरा नम्बर 1332 की रकबा 7 बिस्वा में स्थित गैर मुमकिन चाह पर वादी को अपनी आराजी को शान्तिपूर्वक सिंचित करते रहने दे उसमें किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न स्वयं करें और न ही अन्य किसी प्रतिनिधि से करावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner

बः– कि दौराने वाद उक्त आराजी खसरा नम्बर 1332 रकबा 7 बिस्वा गैर मुमकिन चाह के कब्जे से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल कर दे तो उसे कब्जा भी दिलाया जावे।

सः– कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो वह भी दिलाई जावे।

दावा वादीगण प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से श्री शिवनारायण नागर विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत किया गया। तथा वाद वादी का जवाब मय काउॅटर क्लेम प्रस्तुत किया। जवाब मय काउॅटर क्लमें में प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद अस्वीकार कर कथन किये कि,

1. खसरा नम्बर 1330 की रकबा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1331 की 7 बिस्वा कुल किता 2 की रकबा 13 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 मॉगीलाल के हिस्सा 1/2 तथा 1/2 हिस्सा चतुर्भुज धाकड़ के खाते में दर्ज है, उक्त भूमि पर ही चाह कायम है। जिसकी स्थिति प्रतिवादी द्वारा पैमाईश करवाये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा मौका स्थिति से प्रतिवादी का अवगत कराया गया है। तथा चाह पर प्रतिवादीगण का ही स्वयं की भूमि के साथ कब्जा चला आ रहा है।
2. यह कि , विवादित चाह से प्रतिवादी स्वयं के खाते की आराजी 1329 रकबा 16 बिस्वा , 1332 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा , तथा 1330 की भूमि को पूर्वजो के समय से ही सिंचित करता चला आ रहा है। लेकिन वादी बदनियतिपूर्वक उक्त चाह को स्वयं का बताकर प्रतिवादी को उसका उपयोग उपभोग करने से तथा स्वयं के खाते की भूमि को सिंचाई करने से रोकता है।
3. यह कि प्रतिवादी अपने खाते की एवं कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 1329 , 1330, पर ग्राम उण्डवा से धरनावद मुख्य सड़क से होते हुये नियामतखेड़ी जाने वाली गाड़ी की गडार में होकर खसरा नम्बर 1332, 1333 के मध्य स्थित मेड़ पर से होकर अपने पूर्वजो के समय से भूमि काश्त करने कुये से चरस से पानी पिलाने , हल कुली लाने ले जाने आदि हेतु उपयोग में लाते रहै है। लेकिन

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा बदनियति पूर्वक नियामतखेड़ी के रास्ते से उसके खाते के खेत पर टाटी लगा कर गैर कानूनी ढंग से प्रतिवादीगण का अपने पूर्वजो के समय से उपयोग में लेते आ रहै रास्ते को अवरूद्व कर दिया त था सरकारी मेड़ को उखाड़कर सम्पूर्ण भूमि को एकमुश्त कर लिया है। जिसका वादी को कोई अधिकार नहीं है। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

4. यह कि प्रतिवादीगण के लिये आवश्यक हो गया है कि वे वादी द्वारा शाजिश करके चाह खसरा नम्बर 1332 में दर्ज करवा लिया है। जिसको दुरूस्त करावे तथा चाह को जो खसरा नम्बर 1331 में स्थित है राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्व्यं को उक्त चाह का मालिक घोषित करावे। इस कारण प्रतिवादीगण के लिये यह प्रतिवाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

प्रतिवादपत्र प्रस्तुत कर तथा अन्य कथन कर प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि, वादी का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे तथा काउॅटर क्लेम बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी निम्न प्रकार सादिर डिकी फरमाया जावे कि

1. आराजी खसरा नम्बर 1332 गैर मुमकिन चाह में स्थित चाह को जो 1331 में स्थित है प्रतिवादीगण को मालिक घोषित किया जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद कर वादी को पावंद किया जावे कि वादी उक्त चाह का प्रतिवादीगण को स्वयं के खाते की आराजी सिंचित करने में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न करें उक्त कृत्य अपने किन्ही ऐजेन्ट से नहीं करावे। इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी की जावे।
2. यह कि दौराने वाद वादी यदि प्रतिवादीगण को सिंचाई चाह से करने से वॅचित कर दे तो प्रतिवादीगण को पुनः चाह से सिंचित करने की डिकी प्रदान की जावे।
3. यह कि प्रतिवादीगण को वादी उनके खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 1329,1330,1331,ग्राम उण्डवा पर आने जाने हल कुली ट्रेक्टर आदि लाने लग जाने में कोई वाधा पैदा नहीं करे ऐसा कृत्य अपने किसी ऐजेन्ट से नहीं करावे।
4. अन्य न्यायोचित सहायता जो भी हो वह प्रतिवादीगण को दिलाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner

1. नकल जमाबन्दी ग्राम उण्डवा संवत् 2054–57 खाता नम्बर 294 किता 2 रकबा 13 बिस्वा बखाता मॉंगीलाल रामचंद्र पि0 खेमराज सुमित्राबाई बेवा खेमराज गीता बाई पुत्री खेमराज व केशोराम पुत्र देवा हि0 1/2 मॉंगीलाल पि0 हीरा जाति धाकड़ हि0 1/2 प्रदर्श डी–1
2. नकल जमाबन्दी ग्राम उण्डवा सन् 2004–24 खाता नम्बर 354 किता 2 रकबा 0.11 हैक्टर प्रदर्श डी–2
3. नकल नक्शा ट्रेस ग्राम उण्डवा प्रदर्श डी–3
4. नकल मिलान क्षेत्रफली ग्राम उण्डवा सन् 2004–24 प्रदर्श डी–4
5. शपथपत्र बजरंगलाल प्रदर्श डी0डब्ल्यु–2
6. शपथपत्र केशुराम प्रदर्श डी0डब्ल्यु–1

दरम्याने सुनवाई वाद के पक्षकारान् की मृत्यु होने से उनके कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया।

बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया तथा विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा काउॅंटर क्लेम के तथ्यों को दोहरा कर काउॅंटर क्लेम को स्वीकार तथा वाद वादी को खारिज करने के कथन किये।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन व मनन किया गया। वादी के वादपत्र , वर्णित तथ्य , वॉंच्छित अनुतोषादि , प्रति0 के जवाब मय काउॅंटर क्लेम , वॉंच्छित अनुतोष तथा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक विचार किया गया। बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष पर सम्यक मनन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

<u>तनकी नम्बर 1</u> :– इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्रादि तथा नकल जमाबन्दी ग्राम उण्डवा संवत् 2054–57 खाता नम्बर 64 किता 10 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा बखाता वादी से यह प्रमाणित होता है कि वादगत भूमि आराजी 1332 रकबा 7 बिस्वा का वादी चतरभुज अभिलिखित खातेदार है। प्रतिवादीगण द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया है कि उक्त भूमि पर उन्है किसी प्रकार के स्वत्वः प्राप्त है या होने चाहियें। प्रतिवादीगण द्वारा यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि वादगत उक्त भूमि को

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner

का चाह खसरा नम्बर 1331 रकबा 7 बिस्वा शामिल है। उभयपक्ष अपने अपने खाते में दर्ज चाह से अपने अपने खाते में दर्ज आराजियात की सिंचाई हेतु स्वतंत्र है। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी उन्हें सिंचाई करने में तथा रास्ते के कम में अनाधिकृत मजाहमत पैदा करता है।

अतः दावा वादी तथा काउंटर क्लेम प्रतिवादी अंशतः स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रतिवादीगण वादी की भूमि चाह आराजी खसरा नम्बर 1332 रकबा 7 बिस्वा पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें तथा वादी जरिये कायम मुकामान को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रतिवादी० को उनकी भूमि चाह खसरा नम्बर 1331 रकबा 7 बिस्वा पर से सिंचाई करनें से नहीं रोके। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(चिमनलाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

निर्णय मैरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनॉक 10/07/2019 को विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया ।

(चिमनलाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner